



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 499 राँची, मंगलवार, 8 श्रावण, 1946 (श०)
30 जुलाई, 2024 (ई०)

श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

संकल्प

11 जुलाई, 2024

सं०-01/श्र०नि०प्र०स्था०-1035/2007श्र०नि०- 867--

विषय:- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P.(S) No.- 1484 of 2010 मो. अख्तर अंसारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन में मो. अख्तर अंसारी, प्रतिनियुक्त चालक (मूल पदस्थापन-द छोटानागपुर रिजनल हैण्डलूम वीभर्स को-ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, इरबा, राँची) को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में चालक के पद पर दिनांक- 04.07.2007 के प्रभाव से समायोजित करते हुए चालक पद के अनुमान्य वेतनमान (PayScale) में समायोजित होने की तिथि अर्थात् दिनांक 04.07.2007 के प्रभाव से राज्य सरकार में प्रभावी/लागू धारित पद के लिए समतुल्य वेतनमान में वेतनादि एवं अन्य देय पावनाओं के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

मो. अख्तर अंसारी की नियुक्ति दिनांक-01.01.1992 को सहायक विक्रेता के पद पर द छोटानागपुर रिजनल हैण्डलूम वीभर्स को-ऑपरेटिवयूनियन लिमिटेड, इरबा, राँची में की गयी थी। मो. अख्तर अंसारी को उक्त को-ऑपरेटिवयूनियन लिमिटेड के पत्रांक-827, दिनांक-02.11.2001 द्वारा चालक के पद पर प्रोन्नति दी गयी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश सं०-4017, दिनांक-10.07.2002 द्वारा कार्मिक विभाग में इनकी प्रतिनियुक्ति की गयी। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश सं०-749, दिनांक-08.10.2003 द्वारा पर्यटन विभाग में इनकी प्रतिनियुक्ति की गयी। आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश सं०-74, दिनांक-27.04.2007 द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग में इनकी प्रतिनियुक्ति की गयी। तदोपरान्त श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं०-854, दिनांक-03.07.2007 द्वारा श्रम विभाग में इनकी प्रतिनियुक्ति की गयी। उक्त के आलोक में मो० अख्तर अंसारी द्वारा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में दिनांक-04.07.2007 को योगदान समर्पित किया गया।

सामान्य भविष्य निधि संख्या आवंटित नहीं होने के कारण मो० अख्तर अंसारी द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में **W.P.S.** सं०-221/2010 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा न्यायादेश पारित करते हुए निदेशक, भविष्य निधि, झारखण्ड सरकार को निदेश दिया गया कि मो. अख्तर अंसारी को सामान्य भविष्य निधि संख्या उपलब्ध कराया जाय या सामान्य भविष्य निधि संख्या आवंटित नहीं करने संबंधी सकारण आदेश पारित किया जाय। भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची के आदेश ज्ञापांक-449, दिनांक-26.02.2010 द्वारा मो. अख्तर अंसारी को राज्य सरकार के कर्मी नहीं होने की बात अंकित करते हुए उन्हें सामान्य भविष्य निधि संख्या आवंटित करने से इंकार कर दिया गया। वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश ज्ञापांक-514, दि०-16.04.2010 द्वारा मो० अख्तर अंसारी की सेवा उनके पैतृक संस्थान दी छोटानागपुर रिजनल हैण्डलूम वीभर्स को ऑपरेटिवयूनियन लिमिटेड, इरबा, राँची को वापस कर दी गयी। मो. अख्तर अंसारी द्वारा भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची के आदेश ज्ञापांक-449, दिनांक-26.02.2010 एवं श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश ज्ञापांक-514, दि०-16.04.2010 को निरस्त करने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में **W.P.(S) No.- 1484 of 2010** दायर किया गया।

1. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा **W.P.(S) No.- 1484 of 2010** में दिनांक-01.12.2020 को निम्न आदेश पारित किया गया:-

“As such, the instant writ application deserves to be allowed. Consequently, the impugned orders as contained in Annexure Nos. 13 & 16, are hereby, quashed and set-aside. This writ application is disposed of with a direction to the respondents to consider the claim of the petitioner and pass a fresh reasoned and speaking order in the light of judgments passed by this Court in the case of similarly situated persons and also the Govt. resolutions/orders regarding absorption in similar cases. It goes without saying that the petitioner will give his joining to the office of Labour, Employment & Training Department, Government of Jharkhand and will also be at liberty to file a detailed representation for redressal of his grievance before the Respondent No. 3; who shall decide the issue in accordance with law and in the light of discussions made herein above within a period of 3 months from the date of receipt of such representation. All the monetary benefits which would be calculated after the reasoned order, shall be paid to the petitioner within a further period of 3 months.”

2. उपरोक्त न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में **L.P.A.** सं०-183/2021 दायर किया गया। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा उक्त **L.P.A.** में दिनांक-12.04.2023 को निम्न आदेश पारित किया गया:-

“Thus, we find no illegality in impugned order dated 01.12.2020 passed by the learned Single Judge in WP(S) No.-1484 of 2010. Accordingly, this appeal is dismissed.”

3. उपरोक्त न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में **S.L.P.DiaryNo.-24225/2023** दायर किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-04.12.2023 को निम्न आदेश पारित किया गया:-

“In the peculiar facts and circumstances of the case, we find no ground to interfere with the impugned order passed by the High Court. The Special Leave Petition is, accordingly, dismissed.

Pending interlocutory application(s), if any, is/are disposed of.”

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभाग को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद W.P.(S) No.- **1484** of **2010** में दिनांक-01.12.2020 को पारित न्यायादेश के अनुपालन करने की बाध्यता है। तदनुसार निम्नांकित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रस्तावित है:-

(क) मो. अख्तर अंसारी को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में चालक के पद पर विहित शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित उम्र को आवश्यकतानुसार क्षान्त करते हुए दिनांक 04.07.2007 के प्रभाव से समायोजित करते हुए चालक पद के अनुमान्य वेतनमान (**PayScale**) में समायोजित होने की तिथि अर्थात् दिनांक - 04.07.2007 के प्रभाव से राज्य सरकार में प्रभावी/लागू धारित पद के लिए समतुल्य वेतनमान में वेतनादि एवं अन्य देय पावनायें अनुमान्य होगा।

(ख) उनकी पूर्व की सेवा की गणना वैचारिक रूप से करते हुए सभी सेवान्त लाभों का भुगतान वास्तविक रूप से दिनांक-04.07.2007 से किया जायेगा।

(ग) उनके सेवान्त लाभ यथा उपार्जित अवकाश के बदले 300 दिनों का नकद भुगतान की गणना दिनांक-04.07.2007 से किया जायेगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के संलेख जापांक-749, दिनांक-20.06.2024 के क्रम में दिनांक-28.06.2024 की बैठक में मद संख्या-21 के रूप में दी गयी है।

मुकेश कुमार,

सचिव

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, रांची
